प्रथम सूचना रिपोर्ट

{अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया सहित}

1. जिला– **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, बाड़मेर** थाना:– **सीपीएस एसीबी जयपुर वर्ष 2022**
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या......152/2022........ दिनांक......30/04/2022......

2. (1) अधिनियम **पी0सी0एक्ट** धारा :–**7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन) अधिनियम 2018**
(2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायेः–
(3) अधिनियम .... धाराये :–..................................
(4) अन्य अधिनियम व धाराये :– ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या..................579..................समय...2:30 PM........
(ब) अपराध के घटने का दिन :– दिनांक **29.04.2022** समय **12.40 पी0एम0**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक **28.04.2022** समय **8.49 पी0एम0**

4. सूचना की किस्म :– **हस्तलिखित**

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– **चौकी से बदिशा पश्चिम करीबन 500 मीट्र**
(ब) पता :– **कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के बाहर मुख्य सड़क पर**
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :–

6. परिवादी/सूचनाकर्त्ता
(अ) नाम :– **श्री अजयसिंह**
(ब) पिता का नाम :– **श्री खुशालसिंह**
(स) जन्मतिथि/वर्ष :– **उम्र 42 वर्ष**
(द) राष्ट्रीयता :– **भारतीय**
(य) पाटपोर्ट संख्या :–.. जारी होने की तिथी..........................
(र) व्यवसाय :– डायरेक्टर संजीवनी हॉस्पीटल बालोतरा
(ल) पता :– **निवासी गांव कुई इंदा तहसील बालेसर जिला जोधपुर हाल डायरेक्टर संजीवनी हॉस्पीटल बालोतरा जिला बाड़मेर**

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–
श्री अजय कुमार पुत्र श्री नारायणराम जाति मेगवाल उम्र 38 वर्ष पैशा नौकरी निवासी गांव पोस्ट केरु वाया डूमरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झूनू हाल जिला समन्वयक, पीसीपीएनडीटी(एनआरएचएम) प्रकोष्ठ, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर(संविदा नियुक्ति) मोबाईल नम्बर 9828391607 एवं अन्य।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण:– कोई नहीं।

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–...

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य :– **ट्रेप राशि 35,000 रुपये**

11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो)..

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ....

285

सेवामे,

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
एसआईयू, जयपुर

विषय :— रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़वाने बाबत्

महोदय जी,

निवेदन मन् अजय सिंह पुत्र श्री खुशाल सिंह जाति— राजपूत, उम्र 42 वर्ष निवासी—गांव कुई—इंदा तहसील— बालेसर, जिला— जोधपुर हाल डायरेक्टर संजीवनी हॉस्पीटल बालोतरा का इस प्रकार है कि मैंने मेरे अस्पताल में नई सोनोग्राफी मशीन लगाई है, जिसका मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय बाड़मेर से इंसपेक्शन होता है, जिस पर बाबत मैंने 12 फरवरी 2022 को आनलाईन आवेदन किया था, जिस पर उक्त कार्यालय से श्री अजय कल्याण कोर्डिनेटर पी सी पी एन डी टी प्रकोष्ठ बाड़मेर मेरे अस्पताल में दिनांक 26.04.2022 को आये उस समय मेरे से 5000रुपये उक्त सोनोग्राफी मशीन की अनुमति—पत्र की एवज में रिश्वत मे ले लिये एंव श्री बाबुलाल विश्नोई मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी के लिए 35,000/—रुपये रिश्वत की मांग की एंव मेरे को बाड़मेर कार्यालय मे आकर मिलने का कहा। मैं मेरे जायज कार्य के लिए सी एम एण्ड एच ओ एंव श्री अजय कल्याण को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ। उन्हे रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ, मेरी उनसे किसी प्रकार की-रंजिश या दुश्मनी नहीं है ओर न ही मेरा आपस मे कोई लेन देन बकाया है।

अतः रिर्पोट कर प्रार्थना है कि कानूनी कार्यवाही करावे।
इति दिनांक :— 26—04.2022

भवदीय,
—एसडी/—
(अजयसिंह)
डायरेक्टर संजीवनी हॉस्पीटल
बालोतरा
मोबाईल नम्बर 9462621101

एसडी/—
रामनिवास
29.4.22

एसडी/—
अजयसिंह
29/4/2022

एसडी/—
पारसमल
29.4.22

एसडी/—
स्वरुपसिंह
29/4/2022

कार्यवाही पुलिस दिनांक 28.04.2022 समय 08.49 पी0एम0

इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर श्री बजरंगसिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो एसआईयू जयपुर ने कॉल कर अवगत करवाया कि ब्यूरो मुख्यालय के वाट्सऍप नम्बर पर प्राप्त शिकायत पर अग्रिम कार्यवाही हेतु मुझे प्राप्त होने पर मैने परिवादी श्री अजयसिंह डायरेक्टर संजीवनी हॉस्पीटल बालोतरा से वार्ता की तो उन्हौने बताया कि श्री अजय कल्याण संविदाकर्मी द्वारा सीएमएण्डएचओ बाड़मेर एवं स्वयं के लिए उसके हास्पीटल में लगाई, सोनोग्राफी मशीन की अनुमति देने की एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है, जिंस पर मैने उन्हें बताया कि मेरे कार्यालय का श्री देवेन्द्र कानि0 334 आपको कल दिनांक 28.04.2022 को बालोतरा में मिल लेगा, आप उक्त कानि0 को कार्यवाही करवाने बाबत प्रार्थना पत्र बंद लिफाफे में प्रस्तुत कर अग्रिम कार्यवाही करवावे। तत्पश्चात मेरे द्वारा श्री देवेन्द्र कानि0 को परिवादी से हुई वार्ता के सम्बंध में अवगत करवाकर बालोतरा के लिए रवाना किया। श्री देवेन्द्र कानि0 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि परिवादी श्री अजयसिंह से मिलकर प्रार्थना पत्र बंद लिफाफे में प्राप्त कर मेरे द्वारा बालोतरा से बाड़मेर सीएमएण्डएचओ ऑफिस के बाहर पहुच रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन परिवादी के मार्फत करवाया गया, जिसमें श्री अजय कल्याण संविदाकर्मी कॉडिनेटर जिला पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ बाड़मेर ने सीएमएचओ के लिए परिवादी के अस्पताल की सोनोग्राफी मशीन की अनुमति देने की एवज में 35000रुपये की मांग कर कल दिनांक 29.04.2022 को देने की वार्ता की है। श्री बजरंगसिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया कि उक्त ट्रेप कार्यवाही में रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन हो चुका है, किन्तु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही आपको करने हेतु निर्देशित किया है। श्री देवेन्द्र कानि0 एवं परिवादी श्री अजयसिंह बालोतरा में उपस्थित है, जो कल प्रातः आपके कार्यालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित हो जायेंगे, मैं आपको देवेन्द्र कानि0 के नम्बर दे रहा हूँ, आप उससे जरिये मोबाईल वार्ता कर उक्त ट्रेप कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही सम्पादित करावें। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री बजरंगसिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से हुई वार्ता अनुसार श्री देवेन्द्र कानि0 से जरिये मोबाईल वार्ता की गई तो उसने भी उक्त हालात बताए एवं अवगत करवाया कि परिवादी से मैने प्रार्थना पत्र प्राप्त कर लिया है एवं रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन भी करवा लिया है, हम दोनो कल प्रातः 9.30 ए0एम0 पर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हो जायेंगे।

तत्पश्चात दिनांक 29.04.2022 को ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से दो स्वतंत्र गवाह तलब करने हेतु श्रीमान् उप वन सरंक्षक बाड़मेर के नाम तेहरीर मूर्तिब कर स्वतंत्र गवाह तलब कर लाने हेतु श्री ठाकराराम कानि0 को वन विभाग बाड़मेर को रवाना किया गया। थोडी देर बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में दो व्यक्ति उपस्थित हुए एवं एक व्यक्ति ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अपना परिचय देते हुए स्वयं का नाम देवेन्द्र कानि0 ब्यूरो मुख्यालय पर एसआईयू चौकी में पदस्थापित होना एवं स्वयं के साथ आए व्यक्ति का परिचय परिवादी श्री अजयसिंह के रुप में करवाया एवं एक बंद लिफाफा एवं डिजिटल टेप रिकार्डर प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि श्री बजरंगसिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार दिनांक 28.04.2022 को बालोतरा पहुच परिवादी से बंद लिफाफे में प्रार्थना पत्र प्राप्त कर बालोतरा से बाड़मेर के लिए रवाना होकर बाड़मेर राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर के पास पहुच डिजिटल टेप रिकार्डर ऑन कर परिवादी को सुपूर्द कर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर ने हेतु सीएमएण्डएचओ कार्यालय के पास पहुच गोपनी सत्यापन करवाकर हालात उच्चाधिकारियो को निवेदन किये गये, जिस पर उनके द्वारा मुझे परिवादी के साथ रहने एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु उक्त प्रार्थना पत्र, डिजिटल टेप रिकार्डर को अपने पास सुरक्षित रख दिनांक 29.04.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी को साथ लेकर एसीबी चौकी बाड़मेर उपस्थित होने बाबत निर्देशित किया, जिस पर मैं परिवादी श्री अजयसिंह के साथ उपस्थित हुआ हूँ। श्री देवेन्द्र कानि0 के साथ उपस्थित हुए व्यक्ति को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिचय पूछने पर उसने अपना नाम अजयसिंह डायरेक्टर संजीवनी हास्पीटल बालोतरा के रुप में दिया एवं उक्त बंद लिफाफे में एक प्रार्थना पत्र होना बताया, जिस पर उक्त लिफाफे में से प्रार्थना पत्र को खोल कर अवलोकन किया तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि "मैने मेरे अस्पताल में नई सोनोग्राफी की मशीन लगाई है, जिसका मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय बाड़मेर से इंसपेक्शन होता है, जिस बाबत मैने दिनांक 12.02.2022 को ऑनलाईन आवेदन किया था, जिस पर उक्त कार्यालय से श्री अजय कल्याण कॉडिनेटर पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ बाड़मेर मेरे अस्पताल में दिनांक 26.04.2022 को आये उस समय मेरे से 5000रुपये उक्त सोनोग्राफी मशीन की अनुमति पत्र की एवज में रिश्वत में ले लिये एवं श्री बाबुलाल विश्नोई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के लिए 35000रुपये रिश्वत की मांग की एवं मेरे को बाड़मेर कार्यालय में आकर मिलने का कहा। मै मेरे जायज कार्य के लिए सीएमएण्डएचओ एवं श्री अजय कल्याण को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ, उन्हे

रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ मेरी उनसे किसी प्रकार की रंजिश या दुश्मनी नहीं है और न ही मेरा आपस में कोई लेन देन बकाया है" परिवादी से रिश्वती राशि मांग सत्यापन के हालात पूछने पर उसने बताया कि हम दोनो बाड़मेर में सीएमएचओ बाड़मेर कार्यालय के बाहर पहुचे। मैने श्री अजय कल्याण को कॉल किया तो उन्हौने मुझे कार्यालय के बाहर ज्यूस की दुकान में मिलने का कहा। श्री अजय कल्याण मेरे पास उपस्थित हुए एवं मेरे से वार्ता की एवं सोनोग्राफी मशीन चालू करने की अनुमति की एवज में श्री बाबुलाल विश्नोई सीएमएण्डएचओ के लिए 35000रुपये रिश्वत की मांग की, मेरे द्वारा कुछ कम करने का कहने पर उन्हौने बताया कि कम नहीं लेंगे, पैसे आते ही मैं आपका काम करवा दूंगा, जब मैने उनको 21000रुपये तक देने का कहा तो बोले मांनेंगे नहीं, एक रुपया भी कम नहीं करेंगे एवं दिनांक 29.04.2022 को 9.30 ए0एम0 पर पैसे मिलते ही आपका फार्म बी व अनुमति पत्र हाथो–हाथ दे दूंगा। आप प्रातः 9.30 ए0एम0 पर आ जाना उसके बाद मैं छुट्टी पर निकल जाउंगा। उक्त वार्ता को मेरे द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया है। परिवादी द्वारा दरियाफ्त पर बताये गये तथ्यो एवं प्रार्थना पत्र के अवलोकन पश्चात डिजिटल टेप रिकार्डर को ऑन कर सुनने पर श्री अजय कल्याण कॉडिनेटर पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ बाड़मेर द्वारा सीएमएण्डएचओ बाड़मेर के लिए 35000रुपये रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। ताबाद दो स्वतंत्र गवाह मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कक्ष में उपस्थित हुए, जिन्हें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं का परिचय देकर उनका परिचय पूछने पर दोनो ने कमशः अपना परिचय श्री पारसमल पुत्र श्री पकाराम जाति मेगवाल उम्र 27 वर्ष निवासी महिलावास तहसील सिवाना जिला बाडमेर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक बाड़मेर मोबाईल नम्बर 7742876240 एवं श्री स्वरुपसिंह पुत्र श्री मानसिंह जाति राजपूत उम्र 25 वर्ष निवासी गांव चिड़िया तहसील गिड़ा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक बाड़मेर मोबाईल नम्बर 7891328668 होना बताया। दोनो स्वतंत्र गवाह को पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री अजयसिंह से परस्पर परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनो गवाहान को पढ़ाया गया। दोनो गवाहान ने भी परिवादी से उक्त शिकायत के तथ्यो के सम्बंध में वार्ता कर पूर्ण तस्सली की। दोनो गवाहान को ट्रेप कार्यवाही में अब तक हुई कार्यवाही से अवगत करवाया गया। तत्पश्चात रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप को डिजीटल टेप रिकॉर्डर चालू कर परिवादी की उपस्थिति में दोनो गवाहान को सुनाया गया। परिवादी की रिपोर्ट एंव वार्तालाप में सत्यापन से संबधित अंशो को सुनने के पश्चात अपने स्तर पर दोनों गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर करते हुए कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की सहमति प्रदान की। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किये है एवं रुबरु गवाहान परिवादी के भी प्रार्थना पत्र पर पुनः हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चात दोनों गवाहान के रूबरू परिवादी श्री अजयसिह डायरेक्टर संजीवनी हॉस्पीटल बालोतरा को आरोपी अजय कल्याण कॉर्डिनेटर पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु कहा गया, तो परिवादी श्री अजयसिह ने पॉच सौ रुपये के सत्तर नोट कुल 35000 रुपये अपने पास से निकाल कर पेश किये जिनके नम्बर फर्द में अंकित किये जाकर कार्यालय हाजा के मालखाना को श्री हनीफ हैड.कानि0 नं. 62 से खुलवाया जाकर फिनोफथलीन पाउडर की शिशी मंगवाई जाकर श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि. से उक्त 35000 रु के सभी नोटों को एक अखबार के ऊपर रखवाकर प्रत्येक नोट पर हल्का–हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर उक्त राशि के प्रत्येक नोट पर लगवाया गया एवं उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर राशि को श्री मोहम्मद हनीफ से एक लिफाफे मे डलवाकर लिफाफे पर भी हल्का हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री अजयसिह की जामा तलाशी गवाह श्री पारसमल वरिष्ठ सहायक से लिवाई जाकर उसके पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। परिवादी का मोबाईल उसके पास रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटों के लिफाफे को परिवादी श्री अजयसिह के पहनी हुई पेन्ट की बायी जेब में श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि से रखवाया जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अजयसिह को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि एवं लिफाफे को नहीं छुऐ आरोपी श्री अजय कल्याण कॉर्डिनेटर के मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि के लिफाफे को निकाल कर उसे देवें तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। साथ ही परिवादी श्री अजयसिह को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद वो इस राशि को कहां रखता हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए अपने सिर पर हाथ फैर कर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिसकॉल/कॉल करके या अपनी गाडी का इन्डीकेटर चालू कर रिश्वती राशि लेन–देन होने का गोपनीय ईशारा करें। तत्पश्चात एक कांच की साफ गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि के हाथों की अंगुलियों एवं अगुठों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार

किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गहरा गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया–प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली–भांति समझाया गया। फिर गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवा कर उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया, जिस पर नोटों को रखकर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था। फिनोफथलीन पाउडर की शिशी को श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी जाकर मालखाना के ताला लगवाया गया तथा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में लेने वाली सामग्री वगैरा को भी साफ पानी व साबुन से दो–दो बार धुलवाया गया। फिर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर कोई आपतिजनक वस्तु एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ब्यूरो दल एवं गवाहान ने अपना–अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। उक्त कार्यवाही का विस्तृत विवरण फर्द में अंकित कर फर्द पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की जाकर रिश्वती राशि के नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 को आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय हाजा में छोडा जाकर मन् रामनिवास अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, हमराह स्वतन्त्र गवाहान श्री पारसमल वरिष्ठ सहायक एवं श्री स्वरुपसिंह कनिष्ठ सहायक, परिवादी श्री अजयसिंह तथा ब्यूरो जाब्ता, श्री बांकाराम कानि0, श्री लालाराम कानि0, श्री सुराबखां कानि0, श्री गजेन्द्रसिंह कानि0 मय ट्रेप बॉक्स, कार्यालय का लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री तथा डिजीटल टेप रिकॉर्डर के जरिये सरकारी मोटरसाईकल, ब्यूरो स्टाफ की निजी मोटरसाईकल एवं परिवादी की कार के ट्रेप कार्यवाही हेतु एसीबी चौकी बाड़मेर से परिवादी के बताये अनुसार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के लिए रवाना होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं हमराहियान के कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास पहुचा। परिवादी ने बताया कि मैं श्री अजय कल्याण को मोबाईल पर कॉल करके बुला लूंगा, वह मेरी कार में बैठकर ही मेरे से रिश्वती राशि प्राप्त कर लेंगे, जिस पर परिवादी को इस हिदायत के साथ डिजिटल टेप रिकार्डर सुपूर्द कर आरोपी से मोबाईल वार्ता कर उसकी उपस्थिति ज्ञात करने एवं रिश्वती राशि लेन–देन करवाने हेतु परिवादी को निजी कार में इन्तजार करने हेतु निर्देशित किया एवं साथ ही हिदायत दी गई कि आरोपी से सम्पर्क होने पर जब वह आपसे मिलने आता है तब डिजिटल टेप रिकार्डर को चालू कर रिश्वत राशि लेन–देन के वक्त होने वाली वार्ता को रिकार्ड करे। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं हमराहियान के पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित गोपनीय ईशारे के इन्तजार में व्यस्त हुआ। कुछ समय तक आरोपी के उपस्थित नहीं आने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से मोबाईल पर भी वार्ता की गई तो परिवादी ने आरोपी के कुछ समय में आने का अवगत करवाया। तब परिवादी को कहा गया कि आप टेप रिकार्डर को लेन–देन वार्ता को रिकार्ड करने हेतु चालू कर ले। कुछ समय बाद एक व्यक्ति परिवादी की कार के पास आया एवं अन्दर बैठ कर परिवादी से वार्ता करने लगा।

तत्पश्चात मौतबिरान के रूबरू समय करीबन 12.40 पीएम पर परिवादी श्री अजयसिंह ने पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा अपनी कार का इण्डीकेटर ऑन कर किया, जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं स्वतंत्र गवाहान द्वारा देखा गया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप दल एवं स्वतंत्र गवाहान के परिवादी की उक्त कार के पास पहुचा, जहॉ पर परिवादी श्री अजयसिंह कार की ड्राईवरिंग सीट पर बैठा हुआ मिला एवं एक व्यक्ति कार की आगे की सीट से उतरने लगा, जिस पर परिवादी से डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच आफ कर कब्जे में लिया एवं परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को रुबरु स्वतंत्र गवाहान बताया कि उक्त व्यक्ति ही श्री अजय कल्याण पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ के जिला समन्वयक है, जिन्होंने अभी–अभी गाड़ी में बैठे–बैठे मेरे से रिश्वती राशि 35000रुपये लिफाफे में लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बायीं जेब में रखे एवं मेरे द्वारा गोपनीय ईशारा करने पर गाड़ी से उतरने लगे, जिस पर उक्त व्यक्ति को परिवादी की गाड़ी में बिठाया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना विभागीय परिचय पत्र दिखाया जाकर उसका परिचय पूछने पर स्वयं का परिचय अजय कल्याण पुत्र श्री नारायणराम जाति मेगवाल उम्र 38 वर्ष पैशा नौकरी निवासी गांव पोस्ट केरु वाया डूमरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झूनू हाल जिला समन्वयक, पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर(संविदा नियुक्ति) मोबाईल नम्बर 9828391607 होना बताया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार की ड्राईवरिंग सीट पर बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर उक्त व्यक्ति को पहचानने एवं उससे किसी प्रकार की कोई राशि प्राप्त करने के सम्बंध में पूछने पर उसने बताया कि मैं इनको जानता हूँ इनका बालोतरा में संजीवनी हॉस्पीटल है यह पहले हितकारी हास्पीटल में थे। आरोपी श्री अजय कल्याण ने

बताया कि मैने उक्त रिश्वत राशि डॉ0 बाबुलाल विश्नोई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के लिए लिये है, जो मेरी पहनी हुई पेन्ट की बायीं जेब में रखी है, उक्त राशि मैने उनके लिए ही ली है, जिनसे मैं मोबाईल पर वार्ता करवा सकता हूँ। आरोपी श्री अजय कल्याण द्वारा मौके पर बताये गये स्पष्टीकरण पर आरोपी श्री अजय कल्याण एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर की मोबाईल पर वार्ता करवाने का निर्णय लिये जाने पर आरोपी ने बताया कि सीएमएण्डएचओ साहब वाट्सअप पर ही वार्ता करते है, जिस पर आरोपी श्री अजय कल्याण के मोबाईल नम्बर 9828391607 से श्री बाबुलाल विश्नोई के मोबाईल नम्बर जो उनके मोबाईल में सेव थे, उक्त मोबाईल नम्बर 9414373721 पर वार्ता करवाई गई, जिस पर आरोपी द्वारा कहा गया कि फाईल वाले वो आ गए है, जिस पर श्री बाबुलाल विश्नोई ने "हूँ कहा, उसके बाद उन्हौने कहा कि कौनसी फाईल, तू कहाँ है, फोन पर बात मत किया कर" एवं उसके बाद फोन काट दिया। आरोपी श्री अजय कल्याण द्वारा रिश्वत राशि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के बाहर ही प्राप्त करने एवं गोपनीय रुप से डॉ0 बाबुलाल विश्नोई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अपने कार्यालय में ही उपस्थित होने की जानकारी होने से आरोपी श्री अजय कल्याण को लेकर परिवादी के वाहन से एवं साथ लाई मोटरसाईकल से मुख्य गेट तक पहुचे एवं आरोपी को साथ लेकर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के चेम्बर में प्रवेश हुए, जहाँ पर एक व्यक्ति अपनी सीट पर उपस्थित मिले, जिन्हें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं एवं ट्रेप दल का परिचय देकर आने के मन्तव्य से अवगत कराया जाकर आरोपी श्री अजय कल्याण को उक्त चेम्बर में रखी कुर्सी पर बैठाया जाकर रुबरु स्वतंत्र गवाहान के पुनः आरोपी श्री अजय कल्याण को परिवादी से रिश्वती राशि के सम्बंध में पूछने पर डॉ0 बाबुलाल विश्नोई के रुबरु बताया कि मैने उक्त राशि पूर्व में सीएमएण्डएचओ साहब के द्वारा कहे अनुसार ही लिए है, उक्त राशि में पूरी राशि इनकी ही है, परिवादी मेरे को पूर्व में मेरे 5000रुपये दे चुका हूँ, जिस पर रुबरु गवाहान व आरोपी श्री अजय कल्याण के सामने बैठे डॉ0 बाबुलाल विश्नोई को आरोपी श्री अजय कल्याण द्वारा परिवादी से उनके कहे अनुसार रिश्वत राशि प्राप्त करने के सम्बंध में पूछने पर उन्हौने रुबरु गवाहान बताया कि " मेरा इनकी फाईल से कोई लेना–देना नहीं है, श्री अजय कल्याण ने मेरे नाम से कोई रिश्वत मांग कर प्राप्त की है तो इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। श्री अजयसिंह डायरेक्टर संजीवनी हास्पीटल बालोतरा मेरे से इस कार्य के लिए कभी नहीं मिला, न ही मेरी कोई इनसे वार्ता हुई है, इनकी कोई फाईल मेरे कार्यालय में पैण्डिंग है तो भी इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं नोडल अधिकारी के रुप में ही होता हूँ, जिसकी नोटशीट मेरे पास आती है, उस पर ही मेरे हस्ताक्षर होते है, किन्तु ऐसी कोई फाईल या नोटशीट मेरे पास आज दिन तक नहीं आई है, हास्पीटल का निरीक्षण एवं अनुमति पत्र जारी करने हेतु डॉ0 हरदान अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अधिकृत है, इसमें उनके द्वारा ही निरीक्षण भी किया होगा, किन्तु मुझे इसकी जानकारी नहीं है। पास ही उपस्थित परिवादी श्री अजयसिंह ने स्वैच्छा से बताया कि श्री अजय कल्याण ने मेरे से उक्त रिश्वत राशि डॉ0 बाबुलाल विश्नोई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए ही ली है, इन्हौने कहा कि उक्त फाईल की अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर होने से पूर्व सीएमएण्डएचओ साहब के नोटशीट पर हस्ताक्षर होते है, अगर हस्ताक्षर नहीं होंगे तो अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, उनको रुपये मिलेंगे तो ही वह अपने हस्ताक्षर करेंगे, एक रुपया भी कम नहीं करेंगे, जिस पर मेरे द्वारा उनको यह रिश्वत राशि दी गई है, जिस पर रुबरु गवाहान डॉ0 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से पुनः पूछने पर उन्हौने बताया कि मेरे पास कोई नोटशीट नहीं आई, इनकी कोई फाईल मेरे पास नहीं आई है, श्री अजय कल्याण ने मेरे नाम से जो रिश्वत ली है, यह उन्हौने स्वयं के लिए ही ली है, इसमें मेरा कोई लेना–देना नहीं है। आरोपी श्री अजय कल्याण से परिवादी के फाईल के सम्बंध में पूछने पर बताया कि श्री अजयसिंह की फाईल मेरे रुम नम्बर 11 में पड़ी हैं, जिस पर दस्तयाब सुदा आरोपी श्री अजय कल्याण, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ को साथ लेकर उक्त रुम में प्रवेश हुए, जिस पर आरोपी श्री अजय कल्याण ने एक पत्रावली मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को स्वयं की टेबल से सुपूर्द की, जिसे लेकर पुनः सीएमएण्डएचओ के कार्यालय कक्ष में प्रवेश हुए, पत्रावली का अवलोकन करने पर उसमें संजीवनी हास्पीटल का ऑनलाईन आवेदन फार्म ए, ब्लयू प्रिन्ट, शपथ पत्र, यूएसजी सोनोग्राफी मशीन के रजिस्ट्रेशन के आवश्यक दस्तावेजात एवं फार्म बी(अस्थाई अनुमति) निरीक्षण रिपोर्ट, मूल फार्म बी प्रमाण पत्र, अधिकृत अनुमति पत्र होना पाया गया, जिस पर डॉ0 हरदान अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम उपखण्ड़ समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी सिवाना एवं बालोतरा जिला बाड़मेर के हस्ताक्षर होना शेष प्रमाण पत्र पाये गये, जिस पर आरोपी श्री अजय कल्याण से पूछने पर उन्हौने बताया कि उक्त प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर आज श्री अजयसिंह को देने थे। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त मूल पत्रावली की छाया प्रतियाँ करवाकर उक्त छाया प्रतियों को सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करवाकर शामिल पत्रावली की गई है एवं उक्त मूल पत्रावली को परिवादी का जायज कार्य बाधित नहीं हो, इसलिए पुनः डॉ0 संजीव मित्तल सक्षम अधिकारी को सुपूर्द की गई।

तत्पश्चात मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय कक्ष में ही आरोपी श्री अजय कल्याण जिला समन्वयक की हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए कांच की दो साफ गिलासों में सीएमएण्डएचओ कार्यालय से ही साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त दोनो गिलासो में आधा–आधा साफ पानी भरकर दोनो गिलासो में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में श्री अजय कल्याण जिला समन्वयक के दांहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर मटमैला हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.–1 व आर.एच. –2 अंकित किया गया। इसी प्रकार तैयार घोल के दूसरे गिलास में श्री अजय कल्याण जिला समन्वयक के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर मटमैला हो गया जिसे सभी हाजरीनों ने मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा– आधा भर कर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एलएच–1 व एल.एच–2 अंकित किया गया। आरोपी श्री अजय कल्याण जिला समन्वयक द्वारा रिश्वत राशि अपनी पहनी हुई पेन्ट की बायीं जेब में रखना बताने पर स्वतंत्र गवाह श्री पारसमल से आरोपी श्री अजय कल्याण की तलाशी लिरवाई जाने पर उनके पहनी हुई पेन्ट की बायीं जेब में एक सफेद लिफाफा मिला, जिसे श्री पारसमल से खुलवाया गया, जिसमें पॉच–पॉच सौ रुपये के नोट होना पाये गये, जिन्हें गिनवाने पर कुल 70 नोट राशि 35000रुपये नकद होना पाये गये, उक्त बरामदा रिश्वती राशि का मिलान अन्य गवाह श्री स्वरुपसिंह को पूर्व में तैयार फर्द पेशकशी दी जाकर नोटो के नम्बरो का मिलान करवाने पर हुबहु होना पाये गये, उक्त बरामदा रिश्वती राशि को एवं लिफाफे को एक कपड़े में सिल चिट कर उस पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री अजय कल्याण की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री स्वरुपसिंह से लिरवाई गई तो आरोपी के पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में एक पर्स मिला, जिसमें आरोपी का स्वयं का आधार कार्ड, एयू बैंक का प्लेटिनम डेबिट कार्ड, आरोपी स्वयं का मेडिकल हैल्थ कार्ड, बार कौसिंल का परिचय पत्र, एक मोबाईल ओपो कम्पनी का मॉडल सीपीएच 2249 एवं 1430रुपये नकद पाये गये, उक्त राशि एवं मोबाईल के सम्बंध में पूछने पर आरोपी ने उक्त मोबाईल में वोडाफोन सीम नम्बर 9828391607 एवं दूसरी सीम जीयो नम्बर 8955464263 होना बताया एवं उक्त राशि स्वयं के निजी खर्च की होना बताया, जिस पर उक्त मोबाईल से रिश्वती राशि लेन–देन के दौरान वाट्सअॅप कॉल एवं वाट्सअप मैसेज होने एवं मोबाईल अनुसंधान में मतलूब होने से कब्जा ब्यूरो लिया गया। आरोपी के पास पाये गये पर्स, राशि व दस्तावेजात को उनके कहे अनुसार उनके सहकर्मी श्री मूलाराम को सुपूर्द किये गये। तत्पश्चात आरोपी के पहनी हुई पेन्ट की बायी जेब से रिश्वती राशि प्राप्त होने पर उसका धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी के आवास से सीएमएण्डएचओ कार्यालय के कार्मिको से दूसरी पेन्ट मंगवाई जाकर, पहनी हुई पेन्ट को उतरवाया जाकर दूसरी पेन्ट पहनने हेतु दी गई एवं उक्त पेन्ट की सामने की बायीं जेब का धोवन लेना प्रारम्भ किया। सीएमएण्डएचओ कार्यालय से ही साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त गिलास में आधा साफ पानी भरकर गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया, जिसमें आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की बायीं जेब जहॉ से रिश्वत राशि बरामद हुई थी को उल्टवाकर उक्त गिलास में निचोड़ा गया, जिससे धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क पी–1 व पी–2 अंकित किया गया एवं उक्त पेन्ट को सुखाकर उक्त बायीं जेब पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक कपडे की थैली में डालकर सील्ड मोहर किया। दौराने कार्यवाही श्री मुकनदान निरीक्षक पुलिस को आरोपी श्री अजय कल्याण के बाडमेर शहर में नेहरु नगर स्थित किराये के मकान में परिवार सहित निवांस करने पर उक्त मकान की खाना तलाशी लेने हेतु महिला कानि0 एवं दो अन्य स्वतंत्र गवाह तलब कर खाना तलाशी लेने हेतु रवाना किया गया। रिश्वती राशि लेन–देन एवं आरोपी श्री अजय कल्याण जिला समन्वयक एवं डॉ0 बाबुलाल विश्नोई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर की वाट्सअप पर हुई वार्ता, जिसे ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड करवाई गई थी की पृथक से फर्द मूर्तिब करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात घटनास्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका मूर्तिब करना आवश्यक होने पर फर्द नक्शा मौका एसं हालात मौका घटनास्थल मूर्तिब कर सम्बधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया एवं ट्रेप कार्यावाही विरुद्व श्री अजय कल्याण जिला समन्वयक के रहवासी किराये के मकान की खाना तलाशी की फर्द मूर्तिब कर श्री मुकनदान निरीक्षक पुलिस एवं ब्यूरो जाब्ता

के उपस्थित हुए एवं फर्द प्रस्तुत कर हालात अवगत करवाये। फर्द को शामिल पत्रावली किया जाकर ट्रेप कार्यवाही में मौके की कार्यवाही पूर्ण होने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री अजयसिंह, दस्तयाब सुदा श्री अजय कल्याण जिला समन्वयक, जब्त रिश्वती राशि 35000रू0 शील्ड चिटयुक्त, धोवन की शीशियां मार्क आर0एच0–1, आर0एच0–2, एल0एच0–1, एल0एच0–2, पी–1, पी–2, आरोपी के पहनी हुई पेन्ट जिसकी सामने की बायीं जेब में रिश्वती राशि बरामद हुई का सील्ड सुदा पैकेट, डिजिटल टेप रिकार्डर, ट्रेप बाक्स इत्यादि के परिवादी की कार, सरकारी मोटरसाईकल, ब्यूरो स्टाफ की निजी मोटरसाईकल के ब्यूरो चौकी बाड़मेर को रवाना होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री अजयसिंह, दस्तयाब सुदा श्री अजय कल्याण जिला समन्वयक, ब्यूरो जाब्ता, मालखाना आईट्म, धोवन के प्रादर्श, डिजिटल टेप रिकार्डर, ट्रेप बाक्स इत्यादि के ब्यूरो चौकी बाड़मेर पहुच मालखाना आईट्म श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 को सुपूर्द कर सुरक्षित जमा मालखाना करवाये गये।

तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही में परिवादी श्री अजयसिंह एवं आरोपी श्री अजय कल्याण जिला समन्वयक के मध्य दिनांक 28.04.2022 को रुबरु हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो ब्यूरो कार्यालय एसआईयू जयपुर के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड हैं, जिसे श्री देवेन्द्र कानि0 द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पूर्व में प्रस्तुत किया गया था, उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट् मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सीडीयॉ श्री बांकाराम कानि0 से तैयार करवाई जाकर एक सी0डी0 को मूल मानते हुये कपडो की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरी सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। आरोपी श्री अजय कल्याण जिला समन्वयक की आवाज की पहचान एवं स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री अजयिंह द्वारा की गई। तत्पश्चात उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता को डिलीट कर उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर खाली होना सुनिश्चित कर श्री देवेन्द्र कानि0 को आवश्यक हिदायत कर सुपूर्द किया गया एवं ट्रेप कार्यवाही में परिवादी श्री अजयसिंह एवं आरोपी श्री अजय कल्याण जिला समन्वयक के मध्य आज दिनांक 29.04.2022 को रुबरु हुई रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालाप जो ब्यूरो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड हैं, उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट् मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सीडीयॉ श्री बांकाराम कानि0 से तैयार करवाई जाकर एक सी0डी0 को मूल मानते हुये कपडो की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरी सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। आरोपी श्री अजय कल्याण जिला समन्वयक की आवाज की पहचान एवं स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री अजयिंह द्वारा की गई एवं ट्रेप कार्यवाही में आरोपी श्री अजय कल्याण जिला समन्वयक एवं डॉ0 बाबुलाल विश्नोई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मध्य दिनांक 29.04.2022 को रिश्वती राशि लेन–देन पश्चात मोबाईल वाट्सॲप पर हुई वार्तालाप को आरोपी श्री अजय कल्याण जिला समन्वयक के मोबाईल से संदिग्ध डॉ0 बाबुलाल विश्नोई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मोबाईल पर वाट्सॲप काल से वार्ता करवाई को आरोपी श्री अजय कल्याण के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड की गई थी, उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट् मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सीडीयॉ श्री बांकाराम कानि0 से तैयार करवाई जाकर एक सी0डी0 को मूल मानते हुये कपडो की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरी सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। आरोपी श्री अजय कल्याण जिला समन्वयक की आवाज की पहचान मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई। उक्त तीनो वार्तालापो की मूल एवं डब सीडीयॉ श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 को सुपूर्द कर सुरक्षित जमा मालखाना करवाई गई। ट्रेप कार्यवाही में अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री अजय कल्याण पुत्र श्री नारायणराम जाति मेगवाल उम्र 38 वर्ष पैशा नौकरी निवासी गांव पोस्ट केरु वाया डूमरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झूनू हाल जिला समन्वयक, पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर(संविदा नियुक्ति) मोबाईल नम्बर 9828391607 के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का कारित किया जाने से उसे उसके द्वारा किए गए जुर्म से आगाह कर उसे ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाकर अन्तर्गत धारा 41 सी0आर0पी0सी0 के प्रावधानों के तहत जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उनके साले श्री वीर बहादुरसिंह बालान को दी गई एवं ट्रेप कार्यवाही में अब स्वतंत्र गवाहान श्री पारसमल वरिष्ठ सहायक एवं श्री स्वरुपसिंह कनिष्ठ सहायक व परिवादी श्री अजयसिंह की आवश्यकता नहीं होने से दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री अजयसिंह को उसकी निजी कार से रुखस्त दी गई।

सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री अजयसिंह द्वारा अपने संजीवनी हॉस्पीटल बालोतरा में सोनोग्राफी मशीन के संचालन हेतु ऑनलाईन आवेदन किया, जिस पर उक्त कार्यवाही में इन्सपेक्शन हेतु श्री अजय कल्याण जिला समन्वयक, पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर एवं डॉ0 हरदान अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संजीवनी हॉस्पीटल बालोतरा आकर इन्सपेक्शन करके गये। दिनांक 26.04.2022 को श्री अजय कल्याण जिला समन्वयक पुनः इन्सपेक्शन हेतु संजीवनी हॉस्पीटल बालोतरा उपस्थित हुआ एवं परिवादी से 5000रुपये रिश्वत मांग कर प्राप्त कर ली एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के लिए 35000रुपये रिश्वत की मांग की, जिस पर परिवादी द्वारा ब्यूरो के वाट्सअप नम्बर पर शिकायत करने पर श्री बजरंगसिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो एसआईयू जयपुर द्वारा परिवादी से वार्ता कर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर परिवादी को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष ब्यूरो चौकी बाड़मेर में उपस्थित होकर पाबंध किया, जिस पर दिनांक 29.04.2022 को परिवादी एवं श्री देवेन्द्रसिंह कानि0 निर्देशानुसार उपस्थित हुए। परिवादी द्वारा पूर्व में बंद लिफाफे में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं डिजिटल टेप रिकार्ड में रिकार्ड रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप को श्री देवेन्द्रसिंह कानि0 द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिस पर स्वतंत्र गवाहान को तलब कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। परिवादी को रिश्वती राशि लेन–देन हेतु निर्धारित गोपनीय ईशारा बताया जाकर डिजिटल टेप रिकार्डर में रिश्वती राशि लेन–देन वार्ता को रिकार्ड करने हेतु भेजा गया, जिस पर आरोपी श्री अजय कल्याण जिला समन्वयक द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के कार्यालय के बाहर आकर परिवादी की कार में परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायीं जेब में रखी, जिस पर श्री अजय कल्याण को रिश्वती राशि बाबत पूछने पर उक्त रिश्वत राशि डॉ0 बाबुलाल विश्नोई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के लिए परिवादी से प्राप्त करना बताया, जिस पर दस्तयाब सुदा श्री अजय कल्याण की वार्ता डॉ0 बाबुलाल विश्नोई से करवाई जाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही डॉ0 बाबुलाल विश्नोई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय कक्ष में पहुच दोनो को रुबरु करवाकर की गई। आरोपी श्री अजय कल्याण जिला समन्वयक के हाथ धोवन के दोनो हाथो का धोवन मटमैला एवं पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायीं जेब जहॉ से रिश्वती राशि बरामद हुई का धोवन हल्का गुलाबी होना पाया गया। परिवादी श्री अजयसिंह के पैण्डिंग कार्य से सम्बंधित पत्रावली आरोपी के कार्यालय कक्ष से प्राप्त हुई, जिसमें अधिकृत अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर बाकी होना पाया गया। परिवादी की पैण्डिंग फाईल की छाया प्रतियॉ करवाकर सक्षम अधिकारी से प्रामाणित करवाकर शामिल पत्रावली की गई एवं मूल पत्रावली पुनः सुपूर्द की गई। उक्त ट्रेप कार्यवाही में डॉ0 बाबुलाल विश्नोई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नोडल ऑफिसर होने, रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप, रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालाप में आरोपी द्वारा बार–बार रिश्वत राशि सीएमएण्डएचओ के लिए लेने बाबत बताना, रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात वाट्सअप पर आरोपी श्री अजय कल्याण एवं डॉ0 बाबुलाल विश्नोई की आपस में करवाई गई वार्ता में आरोपी श्री अजय कल्याण जिला समन्वयक द्वारा डॉ0 बाबुलाल विश्नोई सीएमएण्ड़एचओ को कहा गया कि हॉ वो फाईल के वो आ गए है, जिस पर श्री बाबुलाल विश्नोई ने "हूँ कहते हुए कौनसी फाईल, फोन मत कर यार, कौनसी फाईल" उसके बाद फोन काटने से उक्त ट्रेप कार्यवाही में डॉ0 बाबुलाल विश्नोई सीएमएण्डएचओ बाड़मेर की संदिग्ध भूमिका होना पाई गई, जिस पर प्रकरण पंजीबद्व कर डॉ0 बाबुलाल विश्नोई सीएमएण्डएचओ की भूमिका के सम्बंध में विस्तृत अनुसंधान किया जाना उचित होगा।

अतः श्री अजय कुमार पुत्र श्री नारायणराम जाति मेगवाल उम्र 38 वर्ष पैशा नौकरी निवासी गांव पोस्ट केरु वाया डूमरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झूनू हाल जिला समन्वयक, पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर(संविदा नियुक्ति) एवं अन्य के विरुद्व बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावे।

भवदीय,

(रामनिवास)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
बाड़मेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रामनिवास, अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री अजय कुमार पुत्र श्री नारायणराम, जिला समन्वयक, पीसीपीएनडीटी (एनआरएचएम) प्रकोष्ठ, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर(संविदा नियुक्ति) एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 152/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 1334-38 दिनांक 30.04.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं मिशन निदेशक(एनएचएम), राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।